

भारत में स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र

**मानव संसाधन प्रबंधन विभाग,
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी**

महोदय/महोदया,

विषय : अधिकारियों एवं लिपिकीय स्टाफ सदस्यों के लिए वाहन ऋण योजना- पुर्नभुगतान अवधि एवं पात्रता मानदंड में संशोधन.

हम परिपत्र सं. बीसीसी:बीआर:102/38 दिनांक 04.02.2010 एवं परिपत्र सं. बीसीसी:बीआर:109/240 दिनांक 11.05.2017 का संदर्भ देते हैं जिनके माध्यम से वाहन ऋण योजना में संशोधनों के संबंध में सूचित किया गया था.

इस संबंध में हम सहर्ष सूचित करते हैं कि दिनांक 01.04.2019 से वाहन ऋण योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं-

मापदंड	मौजूदा	संशोधित
पुर्नभुगतान अवधि- चार पहिया वाहन	84 किस्त 63- मूलधन 21- ब्याज	120 किस्त 90- मूलधन एवं 30- ब्याज
अधिकारियों के लिए पात्रता मानदंड	बैंक में लगातार 3 वर्ष की सेवा अवधि के साथ स्थायी अधिकारी	बैंक में लगातार 2 वर्ष की सेवा अवधि के साथ स्थायी अधिकारी

अधिकारियों एवं लिपिकीय स्टाफ सदस्यों के लिए वाहन ऋण योजना की सीमा एवं ब्याज दर अपरिवर्तित रहेंगी जो निम्नानुसार है:

श्रेणी	सीमा	ब्याज दर
अधिकारी	15 लाख	6.5% साधारण ब्याज
लिपिक	7 लाख	

ऐसे अधिकारी, जिन्होंने युवा अधिकारियों के लिए बड़ौदा वाहन ऋण योजना के अंतर्गत ऋण लिया है, उन्हें अपने ऋण को स्टाफ वाहन ऋण में परिवर्तित करने की अनुमति है बशर्ते अधिकारी उक्त स्टाफ ऋण योजना के अंतर्गत पात्र हो जाए.

स्टाफ सदस्यों के पास मौजूदा वाहन ऋण (अर्थात् -84- किस्तों के साथ चार पहिया वाहन) को नई योजना में परिवर्तित करने का विकल्प होगा. इच्छुक कर्मचारियों को स्वीकृति पत्र की प्रति के साथ एचआरसीपीसी, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

अधिकारियों एवं लिपिकीय स्टाफ सदस्यों के लिए कार ऋण योजना की अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपनी शाखा/कार्यालय के सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं.

भवदीया,

हस्ता/-

(अर्चना पाण्डेय)

प्रमुख (एचआरएम) एवं सीएलओ



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

HO:BR:111: 96

01st April, 2019
6th

CIRCULAR TO ALL BRANCHES/OFFICES IN INDIA

Issued by
HRM Department, Head Office, Vadodara

Madam/Dear sir,

Re.: Scheme for Conveyance loan for Officers & Clerical Staff members
- Modification in repayment period & Eligibility criteria

We request reference to circular no. BCC:BR:102/38 dated 04.02.2010 & circular no. BCC:BR:109/240 dated 11.05.2017 regarding revisions in Conveyance loan scheme.

In this connection, we are pleased to advise following modifications in Conveyance loan scheme w.e.f. 01.04.2019:

Parameters	Existing	Revised
Repayment period - Four Wheelers	84 Instalments 63 - Principal 21 - Interest	120 Instalments 90 - Principal & 30 - Interest
Eligibility criteria for Officers	Confirmed Officer with continuous service of 3 years in the Bank	Confirmed Officer with continuous service of 2 years in the Bank

The Limit & Rate of Interest for Conveyance Loan to Officers & Clerical Staff members will remain unchanged, which is as under:

Cadre	Limit	Rate of Interest
OFFICERS	15 Lakhs	6.5% Simple Interest
CLERICAL	7 Lakhs	

Officers who have availed loan under the Baroda Vehicle Loan for Young Officers schemes are permitted to convert their loan to the Staff Conveyance Loan once the officer becomes eligible under the said Staff Loan scheme.

Staff members will have an option to convert the existing Conveyance Loan (i.e. Four Wheeler with -84- instalments) to the new scheme. Desirous employees are required to submit a request application with a copy of sanction letter to HRCPC, Head Office, Vadodara for conversion.

All other terms and conditions of the Car loan scheme for Officers and Clerical Staff members remain unchanged.

Please bring the contents of this circular to the notice of all concerned at your branch/office.

Yours faithfully,

(ARCHANA PANDEY)
HEAD (HRM) & CLO

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).
फोन / Phone : 91-265-2316626 / 27 ई-मेल/E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com